अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा (निर्वाचन आयोग)

निर्वाचन के लिये आचार संहिता

महासभा निर्वाचन वर्ष-2025

इस संहिता के प्रावधान अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन आयोग के घोषित तिथि के दिनांक से परिणाम घोषित होने के दिनांक तक प्रभावशाली रहेंगे।

1. सामान्य आचरण :-

1. किसी उम्मीदवार (प्रत्याशी) या उसके कार्यकर्त्ता के व्यक्तित्व के जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिये जिसका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से संबंधित हो।

2. प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिये, प्रत्याशी के घर के सामने धरना देना, नारेबाजी करना या प्रदर्शन की कार्यवाही करने का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिये।

3. मतदान के दिन 100 मीटर के अंदर किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार, सभा या उपद्रव करना प्रतिबंधित है ।

4. मतदाताओं (महासभा सदस्यों) को अपने गतंव्य से मतदान केन्द्र तक किसी वाहन से लाना या ले जाना पूर्णतः वर्जित रहेगा।

5. मतदान केन्द्र में या उसके आसपास निश्रृंखल आचरण करना, मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना, जोर जबरदस्ती करना या दुर्व्यवहार करना अपराध जनित श्रेणी में माना जायेगा।

6. किसी प्रत्याशी या उसके पक्ष में बांटी गई निर्वाचन प्रचार सामग्री किसी दूसरे प्रत्याशी या उसके कार्यकर्ता द्वारा विनिष्ट नहीं किये जायेगें।

7. मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तथा सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में निर्वाचन अधिकारियों के साथ सौम्यता तथा सहयोगात्मक व्यवहार किया जावें।

8. मतदान केन्द्र के अंदर फोटो आदि लेना या अनावश्यक वाद विवाद उत्पन्न करना वर्जित रहेगा।

9. मतदाताओं को दी जाने वाली सदस्यता क्रमांक पर्चियां, सादे कागज पर रहेगी, जिसमें किसी प्रत्याशी का फोटो, नाम या चिन्ह अंकित नहीं होगा।

10. किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रोनिक यंत्र (आइटम) पर किसी भी प्रकार का व्हाटसअप मैसेज आदि अन्य किसी भी प्रत्याशी के विरूद्ध प्रचार अथवा एक्जिट पोल आदि में नहीं किया जा सकेगा।

2. मतदाताओं के लिये आचार संहिता – महासभा के संरक्षक/आजीवन सदस्य (मतदाता) ही मतदान कर सकेंगे।

2. मतदाता सूची में यदि किसी व्यक्ति का नाम दो या दो से अधिक स्थानों पर अंकित है तो उसे एक ही मत देने का अधिकार होगा।

3. पुनरीक्षित संशोधित मतदाता सूची में मतदाता का नाम जिस शहर/ ग्राम के अन्तर्गत गहोई बंधु पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। वह उससे संबंधित मतदान केन्द्र पर ही मतदान कर सकेगा। कर्तव्य प्रमाण पत्र से संबंधित व्यक्ति इससे मुक्त रहेगे।

4. समस्त मतदाताओं को मतदान के दौरान फोटो युक्त परिचय पत्र लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा मतदान प्रक्रिया से वंचित रहेगें। अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र अथवा शासन द्वारा उपलब्ध पेनकार्ड, आधारकार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, मोटर वाहन, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पास बुक आदि का उपयोग परिचय पत्र के रूप में किया जा सकता है। जिसमें मतदाता की फोटो तथा पता अंकित हो।

5. अतिवृद्ध, आसक्त अथवा विकलांग मतदाता, मतदान करते समय यदि आवश्यक समझें तो निर्वाचन अधिकारी का सहयोग ले सकेंगे।

6. मतदाता प्रत्याशियों से किसी भी प्रकार के प्रलोभन की मांग नहीं कर सकेगें और न ही किसी भी प्रकार का प्रलोभन स्वीकार करेगें।

3. उम्मीदवार (प्रत्याशियों) के लिये आचार संहिता :-

1. किसी भी उम्मीदवार (प्रत्याशी) को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये, जिससे किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचे। या उनमें विद्वेष या तनाव उत्पन्न हो।

2. प्रत्याशियों द्वारा सामाजिक मंच का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिये नहीं किया जाना चाहिये। वह व्यक्तिगत रूप से जनसभायें या प्रचार के दौरान अधिक से अधिक मतदान के लिये आग्रह करेगें।

3. प्रत्याशियों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिये, जो निर्वाचन प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर डालते हो।

4. प्रत्याशियों द्वारा प्रचार सामग्री में मात्र हेन्डविल (पर्चे) का प्रयोग किया जा सकेगा। लेखन, ध्वनि विस्तारक, यंत्र आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।

,5. प्रत्याशियों को मतदान के एक दिन पूर्व से मतदान के लिये सावर्जनिक सभा या प्रचार करना, नारे आदि लगाना पूर्णतः वर्जित रहेगा।

6. प्रत्याशियों द्वारा किसी भी प्रकार का प्रलोभन, पारितोषक, पद या धन का लालच देना आचार संहिता का उल्लंघन समझा जावेगा।

7. प्रत्याशीगण मतदान केन्द्रों पर अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगें जिसका प्रारूप गहोई बंधु में प्रकाशित रहेगा।

8. कोई भी प्रत्याशी या अभिकर्ता निर्वाचन कार्य या निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार का हस्तक्षेप या असहयोग नहीं करेगें। तथा वह कार्य भी नहीं करेगे जिससे निष्पक्षता का हनन होता हो।

4. निर्वाचन अधिकारियों को विशेषाधिकार :- निवार्चन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकरी/पीठासीन अधिकारी को निम्न विशेष अधिकार प्रदान किये गये है।

1. मतदान केन्द्र के बाहर या अंदर उपद्रव करने वाले व्यक्ति के प्रति प्रतिकूल कार्यवाही की जावें।

2. निर्वाचन प्रक्रिया में व्यवधान डालनें तथा निर्वाचन अधिकारियों से दुर्व्यवहार या जोर जबरदस्ती, करने पर कानूनी कार्यवाही की जावें।

3. मतदान के दौरान मतपत्रों को विनिष्ट करने, दुरूपयोग करने, बाहर ले जाने आदि पर कानूनी कार्यवाही की जावें।

4. उपरोक्त स्थितियां यदि नियंत्रण के बाहर है, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह कुछ समय के लिये मतदान रोक दें अथवा विषम परिस्थितियों में निरस्त करने की घोषणा कर दें।

<u>5. मतपत्रों की गणना :-</u>

1. निर्वाचन उपरांत मतगणना निर्वाचन अधिकारियों तथा मतदान केन्द्र प्रभारियों के सहयोग से मतदान केन्द्र पर ही होगी। तथा मतपत्र लेखा तैयार कर निर्वाचन आयुक्त को प्रस्तुत किया जावेगा।

2. सभी मतदान केन्द्रों से प्राप्त मतपत्र लेखों में अंकित मतों के अनुसार परिणाम घोषित किये जावेगें।

3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी/पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी मतदान केन्द्र का मतदान किन्हीं कारणोवश विशेष परिस्थितियों में निरस्त किया जाता है तो उस मतदान केन्द्र की मतगणना शून्य समझी जावेगी। तथा उस केन्द्र पर पुनः मतदान कराने हेतु निर्वाचन आयोग वाध्य नहीं रहेगा।

<u>6. महासभा पदाधिकारियों के लिये आचार संहिता :-</u>

1. निर्वाचन नामाकंन पत्र जमा करने के दिनांक से परिणाम घोषित होने तक की दिनांक तक महासभा अथवा क्षेत्रीय सभा के किसी भी पदाधिकारी द्वारा ऐसा कोई आदेश, बैठक या सार्वजनिक कार्य नहीं किया जावेगा। जिसमें निर्वाचन प्रक्रिया बाधित हो या किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाया जा रहा हो। शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान कराये जाने हेतु हर संभव प्रयास करेगा।

7. निर्वाचन कार्य में सलंग्न पदाधिकारियों हेतु आचार संहिता :-

1. निर्वाचन प्रक्रिया में संलग्न अधिकारियों को उनकी निष्पक्षता पर विश्वास होना अनिवार्य है तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये, जिस कारण वे किसी उम्मीदवार (प्रत्याशी) की मदद कर रहे है।

2. निर्वाचन में संलग्न समस्त पदाधिकारियों को एक प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके परिवारजन या रिश्तेदार प्रत्याशी तो नहीं है।

3. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा जिन सामाजिक महानुभावों, कार्यकर्ताओं को जो भी उत्तदायित्व सौंपे जा रहे हैं उनका शत प्रतिशत पालन करना उनका नैतिक दायित्व है, किसी महानुभाव द्वारा अवहेलना करने या जिम्मेदारी न निभाने पर आयोग द्वारा ऐसे महानुभावों के विषय में महासभा को उचित कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा सकेगा।

<u>8. कर्तव्य प्रमाण पत्र :-</u> जो मतदाता निर्वाचन कार्य में अपने स्थान से अन्य स्थानों में निर्वाचन संबंधित कार्यों में पदस्थ रहेंगे। उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा कर्तव्य प्रमाण पत्र प्रदान किया जावेगा। तदानुसार वह जिस मतदान केन्द्र या क्षेत्र में पदस्थ है वहां मतदाता सूची के अंत में अपना नाम प्रविष्ट कराकर महासभा पदाधिकारियों के लिये मतदान कर सकेगें।

9. डाक मतपत्र :- ऐसे स्थान जिनके मतदान केन्द्र 300 कि.मी. से अधिक दूरी पर निर्धारित किये गये है उन स्थानों से संबंधित गहोई बंधु में प्रकाशित महासभा संरक्षक/आजीवन (मतदाता) अपनी क्षेत्रीय सभा का नाम कोड सहित शहर/ग्राम का नाम कोड सहित तथा स्वंय का नाम, पता, सदस्यता क्रमांक सहित फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ एक आवेदन निर्वाचन आयुक्त महासभा के पत निर्वाचन आयुक्त, गहोई बंधु कार्यालय, गहोई बंधु भवन, राजा बाक्षर मन्दिर के पास, राजा बाक्षर की गोठ, दौलतगंज, ग्वालियर (म.प्र.) पिन–474001 पर डाक या कोरियर से मतदान दिनांक के एक माह पूर्व भेजेगें। ताकि उन्हें रजिस्ट्रर्ड डाक द्वारा मतपत्र भेजा जा सकें। निर्वाचन आयोग द्वारा डाक मतपत्रों हेतु निम्न शहर इंगित किये गये है। अम्बाला, मुहाली, अजमेर, जयपुर, कोटा, ओरंगाबाद, हैदराबाद (सिरपुर), चेन्नई, बैंगलोर, सातूर (तमिलनाडू), लखीमपुरखीरी, बदांयू, जगदलपुर, पटना, कल कत्ता, खड़कपुर, आदि तथा ऐसे मतदाता उक्त डाक मतपत्रों को अभिलम्ब रजिस्ट्रर्ड डाक द्वारा निर्वाचन आयोग के पते पर वापिस करेगें। ताकि निर्वाचन दिनांक के पूर्व प्राप्त हो सकें अधिक विलम्ब से प्राप्त मतपत्रों द्वारा विचार नहीं किया जा सकेगा।

10. डाक मतपत्रों की गणना परिणाम घोषित होने के दिनांक के पूर्व मतदान दिनांक को निर्वाचन आयोगद्वारा गहोई बंधु कार्यालय ग्वालियर में की जावेगी। निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्र पर पदस्थ मतदान, पीठासीन व अन्य अधिकारी द्वारा संबंधित मतदान केन्द्र पर ही मतदान किया जावेगा।

रामनिवास छिरौल्या **निर्वाचन उपायुक्त**	**आर.एन.गुप्ता** **निर्वाचन आयुक्त**	पुरूषोत्तम गुप्ता **निर्वाचन उपायुक्त**

अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा निर्वाचन आयोग

महासभा निर्वाचन-2025

महासभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, (5 पद) महामंत्री, मंत्री (5 पद) कोषाध्यक्ष, के पद प्रत्याशियों हेतु आवश्यक अर्हतायें

महासभा अध्यक्ष (एक) पद उपाध्यक्ष (5 पद), महासभा महामंत्री (एक.) पद, मंत्री (5 पद) कोषाध्यक्ष (एक), पद कुल तेरह पद निर्वाचित किया जाना है।

1 मतदाता सूची में निर्वाचन माह से एक वर्ष पूर्व तक बने महासभा सदस्यों के ही नाम स्वीकार किये जायेंगे जो अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के संरक्षक एवं आजीवन सदस्य होगें। प्रत्याशी का नाम मतदाता सूची में प्रकाशित होना अनिवार्य है। प्रत्याशी के नामांकन में स्वयं का ईमेल एड्रेस होना अनिवार्य होगा। नामांकन निर्धारित दिनांक व समयावधि में प्राप्त होना अनिवार्य है।

2 प्रत्याशी के प्रस्तावक एवं समर्थक का नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है।

3 एक मतदाता समान पद वाले केवल एक ही प्रत्याशी का प्रस्तावक/समर्थक बन सकता है, यदि एक से अधिक का बनता है तो बाद में प्राप्त होने वाले फार्म को निरस्त किया जावेगा। एक ही व्यक्ति के लिये पृथक–पृथक पदों हेतु वहीं व्यक्ति प्रस्तावक/समर्थक बन सकेगें।

4 नामाकंन पत्र पर किसी प्रकार की ओवर राईटिंग अथवा कांट–छांट अशुद्धि लेखन होने पर नामांकन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

5 कोई भी पदाधिकारी लगातार दो सत्र तक एक ही पद पर पदाधिकारी रहा हो वह उस पद का तीसरी बार प्रत्याशी नहीं बन सकेगा।

6 निर्वाचन सम्बंधी समस्त सूचनायें गहोई बंधु पत्रिका एवं निर्वाचन आयोग कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित की जायेगी। इसके अतिरिक्त महासभा द्वारा अधिकृत व्हाट्सअप एवं गहोई बंधु के बेबसाईट पर भी समय–समय पर सूचनायें जारी की जा सकेगी।

7 किसी भी प्रकार की आपत्ति लिखित में ही समय सीमा में मान्य की जायेगी, जो आपत्तिकर्ता को निर्वाचन आयोग के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रमाण सहित प्रस्तुत करनी होगी।

8 मतदाता सूची में यदि किसी व्यक्ति का नाम दो या दो से अधिक स्थानों पर अंकित है तो उसे एक ही मत देने का अधिकार होगा।

9 सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य है तभी मतदान में भाग ले सकेंगे। यदि महासभा का पहचान पत्र प्राप्त न हो सका हो तो अन्य कोई शासन द्वारा प्रमाणित पहचान पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकेगा जिसमें फोटो, आपका नाम एवं पता का विवरण अंकित होना अनिवार्य है।

10 समान पद पर एक से अधिक प्रत्याशी होने पर मतदान नियत दिनांक को नियत मतदान केन्द्र स्थान पर गुप्त प्रणाली से मतपत्र द्वारा होगा।

11 यदि किसी प्रत्याशी पर महासभा/क्षेत्रीय सभा/पंचायत की कोई राशि बकाया नहीं होनी चाहिये, यदि राशि बकाया है तो वह राशि जमा करने पर ही प्रत्याशी बन सकेगा।

12 प्रत्याशियों द्वारा प्रचार हेतु केवल हैन्डबिल का ही प्रयोग किया जा सकेगा, अन्य सामग्री विज्ञापन, बैनर, दीवाल, लेखन, ध्वनि विस्तारक यंत्र, स्टीकर्स, बिल्ले, पोस्टर आदि का प्रयोग मतदान केन्द्र 100 मीटर परिधि के अंदर पूर्णरूपेण वर्जित है। इसके उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रत्याशी का निर्वाचन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। व्हाटसअप आदि का उपयोग प्रचार के लिये कर सकेगा।

13 नामांकन शुल्क अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक ड्रॉफ्ट बनवाकर नामांकन पत्र के साथ सलंग्न किया जावे अथवा अ.भा ग.वैश्य महासभा के भारतीय स्टेट बैंक एस.बी.आई. पाटनकर बाजार, ग्वालियर के खाता क्र. 63039422432 एवं IFSC Code SBIN 0030119 में अथवा आई.डी.बी.आई बैंक नया बाजार खाता क्रमांक

54510010005830 IFSC Code IBKL 0000545 जमा कर नामांकन पत्र के साथ मूल रसीद प्रस्तुत करना होगी, फोटो कापी मान्य नहीं होगी। नामांकन हेतु राशि नगद रूप से निर्वाचन आयुक्त कार्यालय गहोई बंधु में जमा की जा सकेगी।

14 सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सामान्य निर्वाचन अधिनियमों का मतदाता, प्रत्याशी एवं अभिकर्ता को पालन करना अनिवार्य होगा, विपरीत परिस्थितियों में कानूनी कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

15 अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के संविधान के अनुसार ही निर्वाचन नियम लागू होगें।

16 विशेष परिस्थितियों में निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन का अधिकार, पीठासीन अधिकारी की अनुशंसा पर, निर्वाचन आयोग को होगा।

17 समस्त विवादों पर निर्वाचन आयोग का फैसला अंतिम व सर्वमान्य होगा।

18 उम्मीदवार से लिया गया शुल्क नाम वापिसी होने अथवा निरस्त होने पर वापिसी योग्य नहीं होगा।

19 समस्त प्रत्याशियों को आयु एवं पूर्व या वर्तमान पदों का वैधानिक प्रमाणीकरण तथा उक्त तथ्यों के समर्थन में शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा । शपथपत्र में यह भी उल्लेख करना होगा कि शपथ पत्र कर्ता पर समाज की किसी भी संस्था का देयभार शेष नही है।

20. यह किसी भी तरह की गलत जानकारी देने पर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही होगी। जिसके लिये वह स्वंय जिम्मेदार होगा ।

पदवार अर्हतायें :-

महासभा अध्यक्ष पद हेतु अर्हतायें :-

(अ) प्रत्याशी की आयु 45 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिये तथा महासभा की कार्यकारिणी का सदस्य रहा हो या वर्तमान में रहते हुये एक वर्ष पूर्ण हो चुका हो। (महासभा के आमंत्रित सदस्य महासभा कार्यकारिणी की श्रेणी में नहीं आते)

(ब) उम्मीदवार से नामांकन शुल्क 25,000 / — रू. (पच्चीस हजार रूपये) नियत किया गया है।

नोट : महासभा की कार्यकारिणी के सदस्य का उल्लेख विधान के कण्डिका क्रमांक 14 में है।

महासभा महामंत्री पद हेतु अर्हतायें :-

(अ) प्रत्याशी की आयु 40 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिये तथा महासभा की कार्यकारिणी का सदस्य रहा हो या वर्तमान में रहते हुये एक वर्ष पूर्ण हो चुका हो।

(ब) उम्मीदवार से नामांकन शुल्क 25,000 / — रू. (पच्चीस हजार रूपये) नियत किया गया है।

महासभा उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष पद हेतु अर्हतायें :-

(अ) प्रत्याशी की आयु 40 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिये तथा महासभा की कार्यकारिणी का सदस्य रहा हो या वर्तमान में रहते हुये एक वर्ष पूर्ण हो चुका हो।

(ब) उम्मीदवार से नामांकन शुल्क 21,000 / — रू. (इक्कीस हजार रूपये) नियत किया गया है।

महासभा के मंत्री पद हेतु अर्हतायें :-

(अ) प्रत्याशी की आयु 40 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिये,

(ब) कम से कम एक वर्ष तक महासभा के सम्बद्ध किसी भी स्थानीय पंचायत अथवा क्षेत्रीय सभा का पदाधिकारी रह चुका हो अथवा महासभा / क्षेत्रीय सभा का कार्यकारिणी सदस्य रहा हो या वर्तमान में रहते हुये एक वर्ष पूर्ण कर लिया हो।

(स)उम्मीदवार से नामांकन शुल्क 15, 000 / रू. (पन्द्रह हजार रूपये) नियत किया गया है।

नोट :— प्रचार मंत्री (एक पद), सम्पत्ति न्यास निरीक्षक (एक पद), लेखा निरीक्षक (एक पद) के निर्वाचन महासभा की विधान नियमावली के अनुसार महासभा के अधिवेशन में कराये जावेंगे।

रामनिवास छिरौल्या
निर्वाचन उपायुक्त

आर.एन.गुप्ता
निर्वाचन आयुक्त

पुरूषोत्तम गुप्ता
निर्वाचन उपायुक्त